कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 1576 सागर, दिनांक 29.05.23

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
तिली रोड़ सागर।

विषय :- सागर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत एस.एस. 21 सागर-रहली मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 6.080 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 013/2022-BHO दिनांक 22.05.2023

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1124/2022/10-11/2109 दिनांक 23.05.2023

3. आपका पत्र क्रमांक/399/एमपीआरडीसी/2023 दिनांक 23.05.2023

--"--

उपरोक्त विषयांकित में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दक्षिण सागर, वनमण्डल के वन परिक्षेत्र ढाना में सागर-रहली मार्ग के निर्माण से प्रभावित वन कक्ष क्रमांक-PF-804, 809 & 810 प्रभावित वन भूमि रकवा 6.080 हेक्टेयर वन भूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR 013/2022-BHO दिनांक 22.05.2023 द्वारा स्थिति-A के अनुसार शर्त कमांक-01 से 11 तक एवं स्थिति-B के अनुसार शर्त क्रमांक-01 से 18 तक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। **(छायाप्रति संलग्न है)**

2- स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ऑन लाईन कैम्पा मद में राशि जमा कराने हेतु वरिष्ठ द्वारा निर्देशित किया गया है अतः आप निम्नानुसार राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर इस कार्यालय को अवगत करावें, विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	शर्तो का विवरण	केम्पा मद में जमा करने हेतु निर्धारित राशि
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकवा 12.08 हेक्टेयर योजना की राशि -	1,25,99,807
2	प्रभावित वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 957780 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 6.08 हेक्टेयर की राशि-	58,23,302
	योग :-	**1,84,23,109**

3- अतः आप कृपया भारत सरकार के दिनांक 06.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू व्यपवर्तित होने वाले घनत्व (Class-III के लिए) राशि रु. 58,23,302/- एवं मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर के आदेश क्रमांक/व्यय/कैम्पा/2023/43 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु. 1,25,99,807/- इस प्रकार कुल राशि 1,84,23,109/- (शब्दो में-एक करोड़ चौरासी लाख तेईस हजार एक सौ नौ

कार्य) होता है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ई-पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के कैम्पा मद में राशि शीघ्र जमा करें, एवं प्रमाणीकरण हेतु बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार स्थिति-A के अनुसार शर्त क्रमांक-01 से 11 तक एवं स्थिति-B के अनुसार शर्त क्रमांक-01 से 18 शर्तों का पालन करने एवं म्यूटेशन फार्म पी-2 वेबपोर्टल की कार्यवाही पूर्ण करने का वचन-पत्र सहपत्र सहित तीन प्रतियों में शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि पालन प्रतिवेदन वचन-पत्र, सहित वन मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किया जा सके।

4- न्यायालय कलेक्टर, जिला के आदेश दिनांक 09.07.2021 एवं 19.07.2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि पटवारी हल्का नम्बर-130 खसरा नम्बर-1341 कुल रकवा 12.84 हेक्टेयर में से 6.080 हेक्टेयर को वन विभाग को हस्तांतरण/नामान्तरण, फार्म पी-।। कब्जा रसीद आदि भी इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

5- भविष्य में वरिष्ठ द्वारा प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो आवेदक संस्थान इस हेतु लिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 1577 सागर, दिनांक 29-05-23

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

3- कलेक्टर, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5- वन परिक्षेत्र अधिकारी, ढाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप योजना से प्रभावित कुल 260 प्रभावित वृक्षों की मार्किंग अनुसार पृथक-पृथक कक्षवार फार्म फैक्टर अनुसार अनुमानित उत्पादन का गणना-पत्रक एवं फार्म-30 तैयार कर इस कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदक संस्थान से उक्त राशि जमा करने हेतु पृथक से मांग पत्र प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल